53

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–रमाडी
तहसील का नाम **कपकोट** , जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.720 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.270 हे0) अर्थात **कुल 0.990** हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......रमाडी......द्वारा दिनांक......7-02-2020को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......रमाडी......के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र..... ... वि0ख0–कपकोट जिला- बागेश्वर	ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम पंचायत रमाडी त0कपकोट जिला-बागेश्वर

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 7-02-2020 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रमाडी

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री लाल सिंह S/o श्री स्व० गोपाल सिंह	लाल सिंह
2	" गुलाब सिंह S/o " " लछम सिंह	गुलाब सिंह
3	श्रीमती रूपमुली W/o श्री स्व० धाम सिंह	रूपमुली
4	श्री चन्द्र सिंह S/o भवान सिंह	Chandra
5	" चंचल सिंह S/o श्री स्व० पदम सिंह	चंचल सिंह
6	" लाल सिंह S/o " स्व० श्याम सिंह	Lal Singh
7	" केदार सिंह S/o " " श्याम सिंह	KSR
8	श्रीमती पार्वती देवी W/o " " खड़क सिंह	पार्वती
9	श्री रघुनाथ सिंह S/o " " रवीन्द्र सिंह	रघुनाथ सिंह
10	श्रीमती मोहनी देवी W/o " " बलवन्त सिंह	मोहनी
11	" कुन्ती देवी W/o " " देव सिंह	कुन्ती
12	श्री तेज सिंह S/o " " मदन सिंह	तेज सिंह
13	" पुष्कर सिंह S/o श्री खुशाल सिंह	पुष्कर सिंह
14	श्रीमती बसन्ती देवी W/o श्री स्व० हर सिंह	बसन्ती
15	" मोहनी देवी W/o लछम सिंह	मोहनी
16	श्री मंगल सिंह S/o श्री स्व० लछम सिंह	Mangal

7/02/2020 (हस्ताक्षर)
प्रधान
ग्राम पंचायत रमाडी
तo कपकोट जिला-बागेश्वर

ह0 /–
ग्राम प्रधान

वन पंचायत रमाडी की बैठक कार्यवाही

दिनांक 16-07-2019 को वन पंचायत **रमाडी** की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0 [signature]

सरपंच

सरपंच
वन पंचायत रमाडी
[illegible] (बागेश्वर)

दिनांक :– 16-07-2019

स्थानः–

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1- श्री [illegible] पुत्र श्री स्व. तेजसिंह
2- " चन्द्रसिंह पुत्र श्री भवानसिंह
3- " [illegible]
4- " [illegible]
5- " [illegible]
6- [illegible]
7- [illegible]

सरपंच [signature]
सदस्य [signature]
" [signature]
" [signature]
" [signature]
" [signature]
" [signature]
" [signature]
" [signature]

(56)

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति.........कपकोट.........

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.720 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.270 हे0) अर्थात **कुल** 0.990 हे0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति. (तहसील **कपकोट**) की दिनांक..14/09/21...... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण.–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कपकोट**) की दिनांक 14/09/21.......को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार...... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री प्रमोद कुमार ....उपजिलाधिकारी...... कपकोट ....अध्यक्ष
2– श्री नारायण दत्त पाण्डे ....उप प्रभागीय वनाधिकारी. वन क्षेत्राधिकारी ....सदस्य
3– श्री गिरीश ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी........ सदस्य / सचिव
4– श्री कुन्दन सिंह कोरंगा ....बी0डी0सी0 क्षेत्र........आमा.........सदस्य

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 1.450 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

कुन्दन सिंह कोरंगा
सदस्य

57

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत करायें कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 0.990 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कपकोट......
जनपद......बागेश्वर......

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी......बागेश्वर......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कपकोट......
जनपद......बागेश्वर......

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर – अध्यक्ष
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर – सदस्य
3. जिला पंचायत सदस्य – सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य/सचिव

आज दिनांक 19/05/2022 को जिलास्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2021 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.990 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलाधिकारी वनाधिकारी समिति जनपद बागेश्वर के उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरुप को परिवर्तन कर जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.990 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण के लिए 0.990 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला पंचायत सदस्य
हरीश सिंह ऐठानी
सदस्य
जिला पंचायत क्षेत्र–शामा
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, बागेश्वर

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र– 23.3

59

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु **0.990है0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

18/08/024

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ....
तहसील ....
(बागेश्वर)

तहसीलदार
तहसील–कपकोट

उपजिलाधिकारी
कपकोट

(67)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाडी से मनधूरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु **0.990हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

18/08/021
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र......
तहसील......
(बागेश्वर)

तहसीलदार
तहसील-कपकोट

उपजिलाधिकारी
कपकोट

जिलाधिकारी
बागेश्वर